



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 2015/श्रावण 6, 1937

No. 477]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2015/SHRAVANA 6, 1937

कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 590(अ).—ईसबगोल भूसी श्रेणीकरण और चिहनांकन नियम, 2015 के प्रारूप को कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिहनांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 10 (अ), दिनांक 5 जनवरी, 2015, द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 4 फरवरी, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिहनांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ईसबगोल भूसी श्रेणीकरण और चिहनांकन नियम, 1982 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनती है, अर्थातः-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ईसबगोल भूसी श्रेणीकरण और चिहनांकन नियम, 2015 है।

(2) ये नियम प्लांटार्गों ओवाता फोर्स्क (फैमिली प्लांटार्जिनेसिया) से प्राप्त ईसबगोल भूसी पर लागू होंगे।

- (3) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं: (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;
- (क) “कृषि विपणन सलाहकार” से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;
- (ख) “प्राधिकृत पैकर” से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन श्रेणी मानकों और विहित प्रक्रिया के अनुसार इसबगोल भूसी का श्रेणीकरण और उन्हें चिह्नांकन करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया है;
- (ग) “प्राधिकार प्रमाण पत्र” से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी निकाय को इसबगोल भूसी का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने और उन पर श्रेणी अभिधान चिह्न लगाने के लिए प्राधिकृत करते हुए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;
- (घ) “साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम” से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत हैं;
- (ङ.) “श्रेणी अभिधान चिह्न” से नियम 5 में विनिर्दिष्ट एगमार्क अधिचिह्न अभिप्रेत है ;
- (च) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) में परिभाषित हैं, के अर्थ वह होंगे जो उस अधिनियम और उक्त नियमों में हैं ।
3. श्रेणी अभिधान : इसबगोल भूसी को दर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची II के तालिका के स्तम्भ 1 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे ।
4. क्वालिटी : इन नियमों के प्रयोजनों के लिए इसबगोल भूसी की क्वालिटी अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी ।
5. श्रेणी अभिधान चिह्न: श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकार प्रमाण-पत्र की संख्या, “एगमार्क” शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची 1 में वर्णित डिजाइन के सदृश श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजाइन से मिलकर बना “एगमार्क अधिचिह्न” होगा ।
6. पैकिंग करने की पद्धति: (1) इसबगोल भूसी की पैकिंग नया, साफ और शुष्क जूट के थैलों, कपड़े के थैलों, कागज़ के थैलों और कार्ड बोर्ड के कार्टूनों जिनकी आंतरिक लाइनिंग फूड ग्रेड पदार्थ की हो, उच्च सघनता पोलिथाइलीन से लेमीनेटिड पेपर के थैलों, फूड ग्रेड प्लास्टिक आधानों या शीशे की बोतलों में या जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों के नियम 11 के अनुसार उनकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रकार के आधानों में पैक किया जाएगा ।
- (2) पैकिंग सामग्री कीटों या फफूंद संदूषण से मुक्त होगी और अन्य विषैले पदार्थ या अवांछनीय गंध या उत्पाद के सुवास से मुक्त होगी ।
- (3) इसबगोल भूसी की पैकिंग विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ज) और (थ) के साथ पठित उपखंड (1) के अंतर्गत बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 2011 के अनुसार पैक आकारों में या कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार की जाएगी ।
- (4) समान लॉट या बैच के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री और श्रेणी को श्रेणी अभिधान चिह्न के साथ उसके सम्पूर्ण ब्यौरों के साथ मास्टर आधान में पैक किया जाएगा ।
- (5) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार की और समान श्रेणी अभिधान की इसबगोल भूसी होगी ।
- (6) प्रत्येक पैकेज उचित रूप से सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा ।

7. चिह्नांकन की पद्धति: (1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अनुसार इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा या मुद्रित किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक पैकेज पर श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्टतः पहचाने जाने योग्य रूप में चिह्नांकित की जाएगीं, अर्थात:-

(क) वस्तु का नाम;

(ख) उदगम का देश;

(ग) श्रेणी;

(घ) किस्म या व्यापार नाम (वैकल्पिक);

(ङ.) लॉट या बैच संख्या;

(च) पैकिंग की तारीख;

(छ) शुद्ध भार;

(ज) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित);

(झ) प्राधिकृत पैकर का नाम और पता;

(ञ) तारीख मास वर्ष से पूर्व उपयोग के लिए सर्वोत्तम;

(ट) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ज) और (थ) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34), प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत या कृषि विपणन सलाहकार द्वारा या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों के अनुसार उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोई अन्य विवरण ।

(3) पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयुक्त स्याही ऐसी होगी जो ईसबगोल भूसी को संदूषित न कर सके ।

(4) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों के नियम 11 के अनुसार उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात, श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना निजी व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित करेगा । परन्तु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित न करता हो ।

8. प्राधिकार प्रमाण-पत्र की विशेष शर्तें: (1) साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य सभी अनुदेशों का पालन करेगा;

(2) प्राधिकृत पैकर ईसबगोल भूसी की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 9 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित योग्य रसायनज्ञ द्वारा प्रबंध की जा रही अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी या सहयोजन प्रयोगशाला या निजी वाणिज्यिक प्रयोगशाला के साथ सम्पर्क करेगा;

(3) परिसरों को स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशाओं के साथ उचित संवातन और अच्छे प्रकाश व्यवस्था में रखा जाएगा । इन संक्रियाओं में लगे कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे;

(4) परिसरों में पक्के फर्श वाली स्वास्थ्यप्रद भंडारण सुविधाएं होगी और वे कृन्तक और कीटों के उत्पीड़न से मुक्त होंगे;

- (5) प्राधिकृत पैकर और पूर्वोक्त अनुमोदित रसायनज्ञ, परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलबंद और अभिलेखों के अनुरक्षण संबंधी कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी के द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के अनुसार इस निमित्त समय-समय पर जारी सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे ।

अनुसूची - I

(नियम 5 देखें)

(एगमार्क अधिचिह्न का डिजाइन)



वस्तु का नाम

श्रेणी

अनुसूची - II

(नियम 3 और 4 देखें)

ईसबगोल भूसी का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. ईसबगोल भूसी प्लांटों ओवाटा फोर्स्क (फैमिली प्लांटजिनेसिया) के बीजों के सूखी बीज की ऊपरी सतह के रूप में मानव उपभोग के प्रयोजन के लिए होगा, जो विनोइंग द्वारा भूसी को अलग कर और बीजों को मसलकर अभिप्राप्त किया जाएगा ।
2. न्यूनतम अपेक्षाएं : (i) ईसबगोल भूसी -
 - (क) सफ़ेद से हल्के सफ़ेद रंग की होगी;
 - (ख) गंधरहित और 2 से 3 मि.मी. लंबा और 0.5 से 1.00 मि.मी. चौड़ी पतली नाव की आकृति के स्वरूप में होंगी ;
 - (ग) नरम और स्वाद गोंद के होंगे ;
 - (घ) कीट या फफूंद से कीड़ा पड़ना और खमीरी, फफूंदार या दूसरे आपत्तिजनक गंधों से मुक्त होंगे ;
 - (ङ) बाह्य दृश्यमान पदार्थ से मुक्त होंगे ;
- (ii) घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत बनाए गए खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषैले पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 में यथा निर्दिष्ट अनुसार धात्विक संदूषकों के अवशेषी स्तरों, कीटनाशक और नाशीजीव नाशक अवशेषों, जीवाणु संबंधी अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थों तथा अन्य खाद्य सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं के मामले में प्रतिबंधों का अनुपालन होगा ।

- (iii) भारी धातुओं, नाशीजीव दवाओं के अवशेषी सीमाओं और कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा यथा निर्धारित खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं और निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन
3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:

तालिका

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी			
	विशेष अभिलक्षण (मात्रा द्वारा प्रतिशत)			
	आद्रता (अधिकतम)	शुष्क आधार पर कुल भष्म (अधिकतम)	शुष्क आधार पर अम्ल में अघुलनशील भष्म (अधिकतम)	कार्बनिक बाह्य पदार्थ (अधिकतम)
1	2	3	4	5
विशेष	10.0	2.0	0.1	0.5
मानक	11.0	2.5	0.2	1.0
साधारण	11.5	2.9	0.3	2.0

स्पष्टीकरण :-

- (i) जैविक बाह्य पदार्थ में खंडित या समूच भूण, एंडोस्पर्म के अंश अथवा इसबगोल फसल से संबन्धित फलों की कैप्सूलर भित्ति शामिल है ।
- (ii) बाह्य पदार्थ का अर्थ है , बाह्य मूल के अशुद्ध पदार्थ जैसे कि मिट्टी, धूलकण या अन्य पदार्थ जो इसबगोल की फसल से संबंध नहीं हैं ।

4. अन्य अपेक्षाएं:

(i) पहचान परीक्षण:

- (क) शोध परीक्षण: 1 ग्राम संपल को 100 मि.ली. के स्टोपर्ड सिलेंडर जिसमें 90 मि.ली. जल हो, में ट्रांसफर करें, इस मिश्रण को 30 सेकेंड तक अच्छी तरह हिलाएं और उसे 24 घंटे तक स्थिर रहने दें, इस अवधि के दौरान तीन बार उसे धीरे-धीरे हिलाएं । 100 मि.ली. बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल मिलाएं, उसे 30 सेकेंड तक धीरे-धीरे मिश्रित करें और हवा को प्रवेश न करने दें, 5 घंटे के लिए रखें तथा म्यूसीलेज का आयतन मापें और इस प्रक्रिया को तीन बार दोहराएं । जार प्रक्रियाओं का औसत 40 मि.ली. से कम नहीं होगा ।
- (ख) सूक्ष्मदर्शी जांच : सामग्री निम्नलिखित विवरण के अनुरूप होगी :- फैली हुई पोलीगोनल कोशिकाएं, 90 से 120 माइक्रोन लम्बी, 18 से 27 माइक्रोन चौड़ी, सेल्यूलोज वाल्ड, सेकेंडरी डिपाजिट द्वारा सघन हो ।
- (ii) इसबगोल की दशा ऐसी होगी जिससे वह यातायात और हैंडलिंग को सह सके और अपने गंतव्य स्थान पर संतोषप्रद ढंग से पहुंच सके ।
- (iii) इसबगोल भूसी का भंडारण ठंडे और शुष्क स्थान पर किया जाएगा और उसे स्वच्छ और साफ-सफाई से उसका रख-रखाव किया जाएगा ।

[फा. सं. 18011/2/2013-M-II]

के. एस. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2015

G.S.R. 590(E).—Whereas, the draft of the Isabgol Husk Grading and Marking Rules, 2015, was published as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R.10 (E), dated the 5th January, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India were made available to the public;

And, whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 4th February, 2015;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), and in supersession of the Isabgol Husk Grading and Marking Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

Rules

1. Short title, application and commencement.— (1) These rules may be called the Isabgol Husk Grading and Marking Rules, 2015.

(2) They shall apply to Isabgol Husk obtained from *Plantago ovata* Forsk (Family Plantaginaceae).

(3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted Certificate of Authorisation to grade and mark Isabgol Husk in accordance with the grade standards and procedure provided under these rules;

(c) "Certificate of Authorization" means a certificate issued under the General Grading and Marking Rules, 1988, authorizing a person or a body of persons to grade and mark Isabgol Husk with the grade designation mark;

(d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(e) "grade designation mark" means the Agmark insignia referred to in rule 5;

(f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and the General Grading and Marking Rules shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act and the said rules.

3. Grade designations.—The grade designations to indicate the quality of Isabgol Husk shall be as specified in column 1 of the Table in Schedule II.

4. Quality.—For the purposes of these rules, the quality of Isabgol Husk shall be as specified in Schedule II.

5. Grade designation mark.—The grade designation mark shall consist of "AGMARK insignia" consisting of a design incorporating the Certificate of Authorisation number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as specified in Schedule I.

6. Method of packing.—(1) Isabgol Husk shall be packed in new, clean and dry jute bags, cloth bags, paper bags and card board cartons with inner lining of food grade material, food grade High Density Polyethylene laminated paper bags, food grade plastic containers or in glass bottles or such other type of containers as may be approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(2) The packing material shall be free from insect or fungal infestation and should not impart any toxic substance or undesirable odour or flavour to the product.

(3) Isabgol Husk shall be packed in pack sizes as per provisions of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 made under sub-section (1), read with clauses (j) and (q) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) or as per the instructions issued by Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(4) Graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade shall be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.

(5) Each package shall contain Isabgol Husk of the same type and of the same grade designation.

(6) Each package shall be properly and securely closed and sealed.

7. Method of marking.— (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely :-

- (a) name of the commodity;
- (b) country of origin;
- (c) grade;
- (d) variety or trade name (optional);
- (e) lot or batch number;
- (f) date of packing;
- (g) net weight;
- (h) maximum retail price (inclusive of all taxes);
- (i) name and address of the authorised packer;
- (j) best before _____ date _____ month _____ year;
- (k) any other particulars as may be specified under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 made under sub-section (1), read with clauses (j) and (q) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act 2009 (1 of 2010), the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), any other law for the time being in force or instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with the General Grading and Marking Rules.

(3) The ink used for marking on packages shall not contaminate the Isabgol Husk.

(4) The authorised packer, may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages which do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. Special conditions of Certificate of Authorisation.— (1) In addition to the conditions specified in the sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, every authorised packer shall follow all instructions specified by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(2) The authorised packer shall either set up his own laboratory or have access to an approved State Grading Laboratory or cooperative or association laboratory or a private commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules for testing the quality of Isabgol Husk.

(3) The premises shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations should be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(4) The premises shall have hygienic storage facilities with pucca floor and free from rodent and insect infestation.

(5) The authorised packer and the aforesaid approved chemist shall comply with all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with the General Grading and Marking Rules from time to time.

Schedule I

(See rule 5)

(Design of Agmark insignia)



Name of the commodity.....

Grade.....

SCHEDULE II

(See rules 3 and 4)

Grade designation and quality of Isabgol Husk

1. Isabgol Husk shall consist of dry seed coats of the seeds of *Plantago ovata* Forsk (Family Plantaginaceae) meant for human consumption which is obtained by crushing the seeds and separating the husks by winnowing.
2. Minimum requirements: (i) Isabgol Husk shall -
 - (a) be white to offwhite in colour;
 - (b) be odourless and have thin boat shaped structures, 2 to 3 mm long and 0.5 to 1 mm wide;
 - (c) have bland and mucilaginous taste;
 - (d) be free from insect or fungus infestation and from fermented, musty or other objectionable odours;
 - (e) be free from any added colours, flavours and harmful foreign materials;
 - (f) be free from visible extraneous matter.
- (ii) It shall comply with the restrictions in regard to the limits for metallic contaminants, crop contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticides and pesticides residues, microbial requirements and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for domestic trade.
- (iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.
3. Criteria for grade designation

TABLE

Grade designation	Quality			
	Special characteristics (per cent by mass)			
	Moisture (Maximum)	Total ash on dry basis (Maximum)	Acid insoluble ash on dry basis (Maximum)	Organic extraneous matter (Maximum)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Special	10.0	2.0	0.1	0.5
Standard	11.0	2.5	0.2	1.0
General	11.5	2.9	0.3	2.0

Explanation:-

- (i) Organic extraneous matter includes broken or entire embryo, fragments of endosperm or capsular wall of fruits belonging to Isabgol crop.
- (ii) Extraneous matter means impurities of extraneous origin like sand, dirt or others which do not belong to the Isabgol crop.

4. Other requirements:

(i) Identification test :

- (a) Swelling test: Transfer 1 gm sample to a 100-ml stoppered cylinder containing 90 ml of water, shake well for 30 seconds and allow to stand for 24 hours, shaking gently on three occasions during this period. Add sufficient water to produce 100 ml, mix gently for 30 seconds, avoiding the entrainment of air. Allow to stand for 5 hours and measure the volume of mucilage. Repeat the determination three more times. The average of the four determinations shall not be less than 40 ml.

(b) Microscopic examination : The material shall conform to the following description:—

Elongated polygonal cells, 90 to 120 micron long, 18 to 27 micron wide, cellulose walled, thickened by secondary deposit.

- (ii) The condition of the Isabgol Husk shall be such so as to enable it to withstand transport and handling and to arrive in satisfactory condition at the place of destination.
- (iii) Isabgol Husk shall be stored in cool and dry place, maintained in a clean and hygienic condition.

[F. No. 18011/2/2013-M-II]

K. S. SRINIVAS, Jt. Secy. (Marketing)